भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 दिनांक 22-03-2005/ 1 चैत्र, 1927 (शक) को उत्तर के लिए

हिंदी भाषा में कार्य करना

2863. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ राजभाषा हिंदी में कार्य नहीं किए जाते हैं ;
- (ख) केन्द्र सरकार द्वारा देश में राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं /उठाए जा रहे हैं :
- (ग) आज की तिथि के अनुसार भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की प्राक्कलित संख्या कितनी है;
- (घ) कुल जनसंख्या में से अधिकांश लोगों द्वारा कौन-सी भाषा बोली जाती है अथवा समझी जाती है ; और
- (ड) किन कारणों ती वजह से हिंदी अपनी अपेक्षित वैधानिक स्थिति नहीं प्राप्त कर सकी है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री (श्री माणिकराव गावीत)

(क) वे राज्य, जिनकी हिंदी राजभाषा नहीं है, निम्नलिखित हैं : -

आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, गोवा, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल ।

(ख) संघ सरकार अपने हिंदीतर भाषी कर्मचारियों को हिंदी भाषा, टंकण तथा आशुलिपि में प्रशिक्षण देती है । इसके अतिरिक्त सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं हैं। संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियां

- गठित की गई हैं । इनमें संसदीय राजभाषा समिति, केन्द्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समितियां, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां शामिल हैं ।
- (ग) भाषाओं संबंधी वर्ष 2001 के जनगणना के आंकड़े अभी संसाधित नहीं हो पाए हैं । तथापि, भारत के वर्ष 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हिंदी को अपनी मातृभाषा प्रदर्शित करने वाले लोगों की संख्या 337,272,114 थी ।
- (घ) वर्ष 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है अथवा समझी जाती है ।
- (ङ) हिंदी, अंग्रेजी के साथ संघ की राजभाषा है। राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(5) के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसको समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक इन संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।